कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 733 /11–सी–FP/UP/Road/121267/2021, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 29 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अंतर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.00 से 40.150 तक के मार्ग चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षो का पातन अर्थात कुल 18.5193 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–705/मी0क्षे0/33, दिनांक 24.08.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा केवल सोनभद्र वन प्रभाग का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के संबंध में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना कैमूर वन्यजीव विहार के इको सेन्सिटिव जोन से बाहर होने का उल्लेख है, किन्तु इको सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं है।
4. रोड चौडीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
6. मुख्य वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र एवं संस्तुति भाग–3 में चैनेज सं0–0.00 से 46.045 तक ऑनलाइन पार्ट–1 में 0.00 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण का उल्लेख है, जोकि भिन्न–भिन्न एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः मुख्य वन संरक्षक के पत्र एवं संस्तुति भाग–3 में सही चैनेज सं0 का उल्लेख कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में अपलोड करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाइन भाग–1 में गाटा सं0–710च अंकित है, जोकि गलत है।
8. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति अपलोड नहीं है।
9. परियोजना में कैमूर वन्यजीव प्रभाग भी प्रभावित है। अतः दोनो वन प्रभागों का समेकित प्रस्ताव प्रेषित करें।
10. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में सभी अभिलेखों की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि गलत है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की समेकित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।

अतः अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग का पूर्ण समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 733 /11–सी–FP/UP/Road/121267/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1048